राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या 534/2014...जिला........अजमेर............

उनवान– श्री कैलाश गांधी पुत्र सुरजमल गांधी, अजमेर बनाम राजस्थान सरकार जरिए कलेक्टर मुद्रांक, अजमेर ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.01.2015	**एकलपीठ** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** अप्रार्थी विभाग की ओर से श्री अनिल पोखरना, उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थी अभिभाषक अभिषेक अजमेरा द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. प.2(6)वित्त/कर/2014 –143 दिनांक 16.12.2014 का लाभ लेने हेतु प्रस्तुत निगरानी को **विदड्रा** करने हेतु निवेदन किया गया। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने इस प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत निगरानी को विदड्रा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर निगरानी **विदड्रा** करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 534/2014 "**सारहीन**" हो जाने के कारण जरिये विदड्रा खारीज की जाती है। आदेश सुनाया गया। 15.01.2015 **(मनोहर पुरी)** **सदस्य**	